भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2890
उत्तर देने की तारीख 13 अगस्त, 2026

डाकघरों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का असफल होना

2890. श्री राजिन्दर गुप्ता :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाकघरों और आईपीपीबी की डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के ज़रिए बुज़ुर्ग पेंशनभोगियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में पेश आने वाली कठिनाइयों के आकड़ों को बनाए रखती है, यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता, क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक प्रमाणीकरण तंत्र मौजूद है और ऐसे मामलों में पेंशन संवितरण प्रक्रिया पूरी होने में औसतन कितना समय लगता है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में संस्वीकृत संख्या के सापेक्ष अभी कितने जीडीएस-संचालित डोरस्टेप बैंकिंग पॉइंट कार्यात्मक हैं और क्या बुज़ुर्ग और चलने-फिरने में असमर्थ पेंशनभोगियों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग कवरेज की पर्याप्तता का कोई आकलन किया गया है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं में विफल हुए बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) प्रमाणीकरण संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं :

वित्तीय वर्ष	2023-24	2024-25	2025-26
विफलता का अनुमानित %	32.7%	14.8%	10.9%

(ख) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के सफल न होने पर फेस (चेहरा) प्रमाणीकरण और ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के वैकल्पिक सत्यापन तंत्र उपलब्ध हैं। नकद संवितरण में 1-3 मिनट का समय लगता है।

(ग) आईपीपीबी ने अंतिम मील तक आईपीपीबी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 1.64 लाख से अधिक डाकघर (ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.39 लाख) सक्षम किए हैं। चूंकि आईपीपीबी सेवाएं डाकघरों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, सभी गांव आईपीपीबी सेवाओं से कवर किए गए हैं।
